No. 38035/2/97-CA
Government of India
Ministry of Coal and Mines
Department of Coal

.....

New Delhi, dated 12th December, 2001

To,
The Chief Secretary,
Government of Jammu & Kashmir / Himachal Pradesh / Gujarat / Uttar Pradesh / Bihar / West Bengal / Assam / Nagaland / Arunachal Pradesh / Meghalaya / Orissa / Andhra Pradesh / Maharashtra / Madhya Pradesh / Jharkhand / Chhatisgarh / Uttaranchal / Goa / Tripura / Manipur / Mizoram/Sikkim/Punjab/Haryana/Tamil Nadu/Kerala/ Karnataka/Rajasthan/Delhi.

Subject:- Coal mining by the State Governments.

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter No. 20(5)/79 – CL dated 30.7.79 (copy enclosed) and to state that the coal mining policy communicated by the Central Government in the said letter has been reviewed and is hereby revised by the Government. Under the revised policy, the State Government companies or undertakings are allowed to do mining of coking and non-coking coal or lignite reserves, either by opencast or underground method, anywhere in the country, subject to the following conditions:

i) The State Government company or undertaking (referred to as the 'company' hereafter) is authorised to do coal or lignite mining by its Memorandum and Articles of Association.

ii) The company will do coal or lignite mining in accordance with the provisions of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957, the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, and all other mineral, environmental and labour laws and other regulations governing the Indian coal industry.

iii) For coal the company shall obtain a certificate from Coal India Limited to the effect that the latter has no plan or willingness to undertake mining operations for coal in the concerned area. For lignite, the company shall obtain a certificate from Neyveli Lignite Corporation.

iv) The proposed mining area has not been allotted to a captive mining company under the provisions of Section 3(3)(a)(iii) of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973.

v) No financial assistance from the Central Government or Coal India Limited or Neyveli Lignite Corporation shall be provided to the company for coal or lignite mining in the concerned area.

vi) None of the coal or lignite mines operated by the company will be taken over by the Central Government or Coal India Limited or Neyveli Lignite Corporation in the event of closure of such a mine or otherwise.

....2/-

vii) No employee of the company, engaged in a coal or lignite mine operated by it, will be absorbed in Coal India Limited or Neyveli Lignite Corporation at any point of time.

2. Under the revised policy, a State Government company/ undertaking can now work non-coking coal and coking coal reserves or lignite by opencast/underground method, without the restriction of 'isolated small pockets'.

3. This supersedes this Department's letter No. 20(5)/79-CL dated 30.07.1979.

Yours faithfully,

(K.S. KROPHA)
DIRECTOR

Copy forwarded to: -

1. The Chairman, Coal India Limited, 10- Netaji Subhas Road, Kolkata.
2. The CMD, CCL, Darbhanga House, Ranchi, Jharkhand.
3. The CMD, WCL, Bisesar House, Temple Road, Nagpur.
4. The CMD, ECL, Sanctoria.
5. The CMD, NCL, Singrauli Collieries, Distt. Sidhi, Madhya Pradesh.
6. The CMD, SECL , Seepat Road, Bilaspur, Chhatisgarh.
7. The CMD, MCL, Anand Bihar, Sambalpur.
8. The CMD, BCCL, Dhanbad
9. The CMD, CMPDIL, Ranchi.
10. The CMD, NLC, P.O.Neyveli, South Arcot, Tamil Nadu.
11. The Coal Controller, 1- Council House Street, Kolkata.
12. The Department of Mines, Ministry of Coal & Mines, New Delhi.
13. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
14. Planning Commission, Yojna Bhawan, New Delhi.

Copy also forwarded to: -

1. PS to Minister for Coal & Mines, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. PS to Minister of State for Coal & Mines, Shastri Bhawan, New Delhi.
3. All officers/sections of the Department of Coal.

(S.K.KAKKAR)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)
DEPARTMENT OF COAL (KOYLA VIBHAG)

No. 20(5)/79-CL New Delhi, the 30th July, 79

To

The Chief Secretary,
Government of J&K/Himachal Pradesh/Gujarat/Uttar Pradesh/Bihar/West Bengal/Assam/Nagaland/Arunachal Pradesh/Meghalaya/Orissa/Andhra Pradesh/Maharashtra/Madhya Pradesh

Subject: Mining of isolated small deposits of coal by State Government.

Sir,

I am directed to say that after a review of the policy under which only the Central Government public undertakings have been permitted to carry on coal mining operations in the country, it has been decided that, while continuing the existing policy of the Central Government carrying out coal-mining operations in the country by its own undertakings, the State Governments might also be allowed to carry out coal-mining operations in "isolated small pockets" subject to the following conditions:-

(i). The State Government undertakings operating the mines directly and not through contractors;

(ii) The mining operations being confined to non-coking coal;

(iii) The coal mining operations being subject to the provisions of the various mining and other laws on the subject;

(iv) The sale of coal being in accordance with the gradewise prices notified by the Central Government from time to time;

(v) The mining operations being confined to opencast operations only;

(vi) Coal India Limited issuing a "no objection" certificate stating that it has no plans for operating the concerned area in the near future.

The "isolated small pocket" are those which are away from the main coalfields and have limited known reserves which are not sufficient for scientific and economic development in a coordinated and integrated manner and the coal produced from such areas would mainly be utilised for local consumption without transpiration by railways.

Yours faithfully,
Sd/-
(S.R.A. Rizvi)
Director

.../-

Copy forwarded to :

1. The Chairman-cum-Managing Director, Coal India Limited, 10, Netaji Subhas Road, Calcutta.
2. The Chairman-cum-Managing Director, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi.
3. The Chairman-cum-Managing Director, Western Coalfields Limited, Bisesar House, Temple Road, Nagpur.
4. The Chairman-cum-Managing Director, Eastern Coalfields Limited, Sanctoria.
5. The Chairman-cum-Managing Director, Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad.
6. The Chairman-cum-Managing Director, Central Mine Planning and Design Institute Limited, Ranchi.
7. The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.
8. Department of Mines.
9. Cabinet Sectt., New Delhi.

Copy also forwarded to:

1. Planning Commission.
2. All Officers/Section in the Department of Coal
3. S.A. to Minister (E).

Sd/-
(S.R.A. Rizvi)
Director

सं. 38035/2/97-सी.ए.
भारत सरकार
कोयला तथा खान मंत्रालय
कोयला विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12, दिसंबर, 2001

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

विषय : राज्य सरकारों द्वारा कोयले का खनन ।

महोदय,

मुझे दिनांक 30.7.79 के इस विभाग के पत्र संख्या 20(5)/79-सीएल का हवाला देने (प्रतिलिपि संलग्न) और यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा संसूचित कोयला खनन नीति की समीक्षा की गई है और उसे सरकार ने एतद्द्वारा संशोधित कर दिया है । संशोधित नीति के अंतर्गत, राज्य सरकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन देश में कोयला खनन संबंधी प्रचालन किए जाने की अनुमति दी गई है :

i) राज्य सरकार की कंपनी अथवा उपक्रम (यहाँ इसके पश्चात् 'कंपनी' के रूप में उल्लिखित) अपने ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेदों के द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट खनन किए जाने हेतु प्राधिकृत है ।

ii) कंपनी, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957, अनुबंध श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अन्य सभी खनिज, पर्यावरणीय और श्रमिक कानून तथा भारतीय कोयला उद्योग को प्रशासित करने वाले अन्य नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में कोयले अथवा लिग्नाइट का खनन करेगी ।

iii) कोयले के लिए कंपनी कोल इंडिया लि0 से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगी कि इसकी संबद्ध क्षेत्र में कोयले का खनन प्रचालन करने की कोई योजना अथवा इच्छा नहीं है । लिग्नाइट के लिए कंपनी नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से प्रमाण-पत्र करेगी ।

iv) प्रस्तावित खनन क्षेत्र, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(क) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी गृहीत खनन कंपनी को आवंटित नहीं किया गया है ।

v) केन्द्रीय सरकार अथवा कोल इंडिया लि0 अथवा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से कंपनी को सम्बद्ध क्षेत्र में कोयले अथवा लिग्नाइट के खनन हेतु कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।

vi) कंपनी द्वारा प्रचालित किसी भी कोयला अथवा लिग्नाइट खान को, उसके बंद हो जाने की स्थिति में अथवा अन्यथा, केन्द्रीय सरकार अथवा कोल इंडिया लि0 अथवा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा अपने अधिकार में नहीं लिया जाएगा ।

vii) कंपनी द्वारा प्रचालित किसी कोयला खान में नियोजित कंपनी के किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय कोल इंडिया लि0 अथवा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में समाहित नहीं किया जाएगा ।

2. संशोधित नीति के अंतर्गत, राज्य सरकार की कोई कंपनी /उपक्रम "पृथक छोटी पॉकेटों" के प्रतिबंध के बिना भूमिगत/ओपनकास्ट पद्धति से कोकिंग तथा नॉन-कोकिंग कोयले के भण्डारों अथवा लिग्नाइट को खनित कर सकती है ।

3. यह पत्र इस विभाग के दिनांक 30.7.1979 के पत्र सं. 20(5)/79-सीएल का स्थान लेगा ।

भवदीय,

(के. एस. क्रोफा)

निदेशक

भारत सरकार
ऊर्जा मंत्रालय
कोयला विभाग

सं.20(5)/79-सीएल

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई, 79

सेवा में

प्रमुख सचिव,
जम्मू तथा काश्मीर/हिमाचल प्रदेश/गुजरात/उत्तर प्रदेश/बिहार/पश्चिम बंगाल/असम/नागालैंड/अरूणाचल प्रदेश/मेघालय/उड़ीसा/आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश ।

विषयः राज्य सरकार द्वारा कोयले के पृथक छोटे भण्डारों का खनन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उस नीति की समीक्षा करने के बाद, जिसके अंतर्गत केवल केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को ही देश में कोयला खनन प्रचालन करने की अनुमति दी गई है, यह निर्णय लिया गया कि, केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में अपने उपक्रमों के माध्यम से कोयला खनन प्रचालन करने की विद्यमान नीति को जारी रखते हुए, राज्य सरकारों को भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन पृथक छोटे पाकेटों में कोयला-खनन प्रचालन करने की अनुमति दी जा सकती है :-

(i) राज्य सरकार के उपक्रम खानों को प्रत्यक्ष रूप में चलाएंगे, न कि ठेकेदारों के माध्यम से ;

(ii) खनन प्रचालन केवल नान-कोकिंग कोयले के खनन तक ही सीमित रहेंगे ।

(iii) कोयला खनन प्रचालन विभिन्न खनन तथा इस विषय पर बने अन्य कानूनों के प्रावधानों के अधीन किए जाएंगे ।

(vi) कोयले की बिक्री केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ग्रेड-वार कीमतों के अनुसार की जाएगी ।

(iv) खनन प्रचालन केवल ओपनकास्ट प्रचालनों तक ही सीमित होंगे ;

(v) कोल इंडिया लिमिटेड यह कहते हुए एक "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी करेगी कि उसकी निकट भविष्य में संबद्ध क्षेत्र में प्रचालन करने की कोई योजना नहीं है ।

"पृथक छोटे पॉकेट" वे होते हैं, जो मुख्य कोलफील्ड्स से दूर स्थित होते हैं तथा जिनके सीमित ज्ञात भण्डार हैं और जो एक संयोजित तथा एकीकृत तरीके से वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास हेतु अपर्याप्त हैं और जिन क्षेत्रों से उत्पादित कोयला रेलवे द्वारा परिवहन किए बिना मुख्य रूप से स्थानीय उपभोग हेतु उपयोग में लाया जाएगा ।

भवदीय,

हस्ता0/-
(एस.आर.ए.रिज़वी)
निदेशक

प्रति प्रेषित :-

1. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड, 10, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।
2. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची ।
3. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिसेसर हाउस, टेम्पल रोड, नागपुर ।
4. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, संकटोड़िया ।
5. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद ।
6. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिज़ाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड, राँची ।
7. कोयला नियंत्रक, 1, काऊंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता ।
8. खान विभाग ।
9. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।

प्रति इन्हें भी प्रेषित :-

1. योजना आयोग ।
2. कोयला विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
3. ऊर्जा मंत्री के एस.ए. ।

हस्ता0/-
(एस.आर.ए.रिज़वी)
निदेशक